• सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–06.11.2026 को पंचायत स्तर पर प्रदान की जा रही सेवाएँ यथा–RTPS, आधार सेवा इत्यादि के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत संचालित RTPS के Online Service plus Portal पर पंचायत स्तरीय सेवा प्रदायगी के संबंध में दिनांक–01.10.2024 से 03.11.2026 तक निष्पादित कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि 12 जिलों के 56 पंचायतों के कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा उक्त अवधि में **शून्य** (0) सेवा प्रदान की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि इन कर्मियों द्वारा विभागीय निदेश के बावजूद पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को सेवा प्रदान नहीं की जा रही है, जो विभागीय निदेश का उल्लंघन एवं अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। उक्त के आलोक में इन 56 पंचायतों के कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की उपयोगिता विभाग के लिए शून्य प्रतीत होती है। साथ हीं संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा भी विभागीय निदेश के संदर्भ में इनके कार्यों की समीक्षा नहीं किया जाना एवं कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को विभाग द्वारा सौंपी गई कर्त्तव्यों के निर्वहन किये बिना ही वेतन का भुगतान किया जाता रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में जिन 56 पंचायतों के कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा शून्य सेवा प्रदान की गई है, की सेवा वापस करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित करने, विभागीय निदेश के आलोक में नियमित समीक्षा नहीं करने तथा बिना कार्य के भुगतान हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी से भी कारण–पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रशाखा–1 एवं 3)

2. पंचायत स्तर पर RTPS, आधार एवं अन्य ऑनलाईन सेवाएँ प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा 2000 पंचायतों को कम्प्यूटर तथा अन्य एसेसरिज उपलब्ध कराया गया है। संबंधित कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को विभाग द्वारा आधार संबंधी सेवायें हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा प्रशिक्षणोपरान्त आधार केन्द्र संचालन हेतु प्रमाणीकरण के संबंध में निदेशित किया गया था। पंचायतों को आधार केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक उपकरण (KIT) की भी व्यवस्था किये जाने के संदर्भ में विभाग द्वारा निदेश संसूचित है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 2000 पंचायतों में से मात्र 872 कार्यपालक सहायकों द्वारा आधार पंजीकरण हेतु प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण किया गया है तथा उसमें से मात्र 12 कार्यपालक सहायक द्वारा आधार पंजीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। शेष 1988 पंचायतों द्वारा आधार सेवा पंचायत स्तर पर प्रदान किया जाना प्रारंभ नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संबंधित कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा आधार केन्द्र संचालित करने में रूचि नहीं लिये जाने के कारण विभाग की महत्वाकांक्षी योजना प्रभावित हुई है।

उक्त के आलोक में संबंधित 1988 पंचायतों के कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों की समीक्षा करने तथा आधार पंजीकरण प्रारंभ नहीं करने हेतु स्पष्टीकरण करते हुए नियमानुसार सेवा वापस करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–आई०टी०प्रबंधक, प्रशाखा–2 एवं प्रशाखा–3)

3. CSC e-Governance Services India Limited के प्रतिनिधि द्वारा RTPS सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराने के बिन्दु पर सहमति व्यक्त की गई तथा भारत सरकार की अन्य सेवायें जो CSC के माध्यम से निःशुल्क/सशुल्क उपलब्ध कराई जाती है उसे VLE के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों पर उपलब्ध कराने हेतु अवसर प्रदान का अनुरोध किया गया।

4. समीक्षा के क्रम में CSC e-Governance Services India Limited द्वारा बताया गया कि आधार अंतर्गत UCL सेवा के जरिए बिना आधार KIT के भी ग्रामीणों को सेवा प्रदान किया जा सकता है। उक्त के आलोक में UIDAI से समन्वय स्थापित कर इस संदर्भ में आवश्यक सहमति भी प्राप्त की जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि MoU में UIDAI की सहमति के संबंध में आवश्यक शर्त्त अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित सेवा प्रदान किये जाने हेतु CSC e-Governance Services India Limited के साथ एकपक्ष के भीतर MoU हस्ताक्षरित किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रशाखा–2)

(नजर हुसैन) 10/11/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक–2प/वि०–17–46/2024/16040/पं०रा० पटना, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपिः–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2 एवं 3/आई०टी०प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 10/11/26
विशेष सचिव